न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 62/2019 एल आर एक्ट (GCMS No 2019/ 00066)

अनवान भोपाल सिह (मृतक) सुमित्रा वगैरह बनाम स्टेट

अपील विरूद्व आदेश– अति.जिला कलक्टर चूरू दिनांक 30.09.2019

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
20.09.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील अति. जिला कलक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 के विरूद्व भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प चूरू के समक्ष प्रस्तुत की गई। भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रप–6) विभाग की जारी अधिसूचना नं. 1 (17) राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के परिपेक्ष में इस न्यायालय को हस्तान्तरित की गई। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट एवं उसके अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित नही होने पर इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के निमित नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट की ओर से दिनाक 12.01.2022 को रामकिशन शर्मा एडवोकेट उपस्थित होकर वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा। इतने समय निकल जाने के बाद भी अपीलान्ट एव उसके अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित नही होने पर उनको आवाज लगवाई गई, बावजूद आवाज के उपस्थित नही होने पर पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब,तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति.संभागीय आयुक्त बीकानेर	